न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/128/2024 रजू दिनांकः 27.09.2024 रजि0 न0 2024/234

अपीलार्थीः–

श्री कुलदीप वर्मा, निवासी डी–528, बुध विहार, अलवर राज0 –301001

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय), जिला अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 28.10.2024

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 16.08..2024 प्रस्तुत कर पत्र में वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा द्वारा RTI Online Portal पर दर्ज प्रथम अपील संख्या 293102346019359 दिनांक 25.09.2024 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई गई है। सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 07.10.2024 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी उपस्थित नहीं आये। प्रत्यर्थी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रत्यर्थी ने पत्रांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2024/2010 दिनांक 24.10.2024 के माध्यम से अवगत कराया है कि अपीलार्थी द्वारा RTI Online Portal पर दर्ज प्रथम आवेदन संख्या 293097603928896 दिनांक 16.08.2024 के माध्यम से पी.एम. किसान सम्मान निधि योजनान्तर्गत प्राप्त आवेदन, प्राप्त आवेदन में से अपात्र किसान व अपात्र किसानों से तहसील/ब्लॉक वाईज वसूली राशि संबंधि विस्तृत विविध 05 बिन्दुओ पर सूचना चाही गई थी। जिसके संबंध में व प्रासंगिक अपील के अनुक्रम में इस लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर संबंधित अनुभाग–प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) मिनी सचिवालय, अलवर के पत्रांक भू.अ. /पीएम–किसान/प–4040/2024/14870 दिनांक 22.10..2024 के माध्यम से विनिश्चय कर सूचित किया जा चुका है जिसके अनुसार सूचना आवेदन सं0 293097603928896 वं अपील प्रा0पत्र दिनांक 25.09.24 में संदर्भित सूचना अतिविस्तृत–श्रमसाध्य होने के कारण किसी भी कार्य दिवस व कार्यालय समय में आवेदक के उपस्थित होने व सूचना चिन्हित किए जाने उपरान्त नियमानुसार सूचना जारी की जा सकती है।
5. पत्रावली का अवलोकन किया एवं जवाब प्रत्यर्थी पर मनन किया। प्रस्तुत जवाब के अवलोकन एवं अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी द्वारा कार्यालय स्तर पर संबंधित अनुभाग–प्रभारी अधिकारी (भू.अ.) मिनी सचिवालय, अलवर के पत्रांक भू.अ./पीएम–किसान/प–4040/2024/14870 दिनांक 22.10..2024 के माध्यम से विनिश्चय कर अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है प्रत्यर्थी के द्वारा जरिये प्रतिलिपि पत्रांक सम/2011 दिनांक 24.10.2024 के द्वारा उक्त प्रकरण में अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में विनिश्चय कर सूचना अपीलार्थी को पुनः प्रेषित की जा चुकि है। अपील अपीलांट खारीज किये जाने योग्य है।
6. अतः उक्त आलोक में अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर निस्तारित की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
7. निर्णय आज दिनांक 28.10.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
8. पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर अलवर
(राजस्थान)